न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट,सिद्वार्थनगर।

UPSD010015192025

Criminal Misc. Cases/127/2025

संजय कुमार बनाम सरकार उ0प्र0 व अन्य।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 4ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम।

1– पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुआ। उभयपक्षों को प्रार्थनापत्र 4ख पर पूर्व तिथि को सुना जा चुका है।

2– आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 4ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी मुम्बई में रहकर व्यवसाय करता है उसका परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कम सम्पर्क है। जब वह मुम्बई से से घर आया तब उसे ज्ञात हुआ हिक रेस्पाण्डेन्ट सं0–2 ने प्रार्थी के विरूद्व 138 एन0आई0एक्ट का मुकदमा कर रखा है तब न्यायालय आकर अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि दिनॉक 18–2–2025 को तलबी आदेश पारित किया गया है। दिनॉक 07–6–2025 के पहले प्रार्थी को आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः निवेदन है कि धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए दाखिला मं हुए विलम्ब को क्षमा करने की कृपा करें। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र 5ख दाखिल किया गया है।

3– विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष हाजिर आया। विपक्षी विनय कुमार की ओर से आपत्ति 10ख दाखिल किया गया। जिसमें मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि निगरानीकर्ता को इस मुकदमें की भली भॉति जानकारी रही है। नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी उसने कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया। सम्पूर्ण कार्यवाही के पूर्ण हो जाने के पश्चात अवर न्यायालय द्वारा तलबी पर बहस सुनकर दिनॉक 18–2–2025 को अभियुक्त को दिनॉक 10–3–2025 को हाजिर होने के लिए समन मात्र निर्गत किया गया जिसकी भी बखूबी जानकारी निगरानीकर्ता को है, क्योंकि वह बाहर बाहर इस कार्यवाही का पता करता रहा। धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत

दिन प्रति दिन के विलम्ब को प्रत्येक दशा में कारर्ण दर्शाना होता है जबकि दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में ऐसा नहीं है इस कारण प्रार्थनापत्र प्रत्येक दशा में खण्डित होने योग्य है। विपक्षी द्वारा प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खण्डित किये जाने की याचना की गयी।

4— निगरानीकर्ता व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5— प्रस्तुत निगरानी दाखिल करने में 24 दिन का विलम्ब होना अंकित किया गया है। निगरानीकर्ता का कथन है कि वह मुम्बई में रहकर व्यवसाय करता है और उसके घर वालों से उसका सम्पर्क अच्छा नहीं है इस कारण उसे इस मुकदमें की जानकारी नहीं हो सकी। निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर निगरानी दाखिल करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि धारा 05 मियाद अधिनियम का निस्तारण करते समय न्यायालय को बहुत कठोर दृष्टिकोण न अपनाकर लचीला रूख अपनाना चाहिए। प्रत्येक मामले का निस्तारण उसके गुणदोष के आधार पर होना चाहिए। तकनीकी विन्दु के आधार पर किसी मामले को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कथन किया गया है वह शपथ पत्र से समर्थित है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। चूॅकि प्रस्तुत निगरानी 24 दिन विलम्ब से दाखिल किया गया है ऐसी स्थिति में न्यायहित में आवेदक/अपीलकर्ता का प्रार्थनापत्र 4ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/निगरानीकर्ता संजय कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ख मु0—500/—(पॉच सौ रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। निगरानीकर्ता को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए, विलम्ब के लिए छूट प्रदान की जाती है। पत्रावली को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, सिद्वार्थनगर के न्यायालय में भेजा जाना सुनिश्चित करें।

उभयपक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में दिनॉक 30—07—2026 को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु उपस्थित हो। हर्जा नियत तिथि से पूर्व न अदा करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

दिनॉकः—08.07.2026

(त्रिभुवन नाथ)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code UP-6450

Digitally signed by Tribhuwan Nath
Date: 2026.07.08 17:37:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court